न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—94/2019 दायर दिनांक 17.07.2019

जीसीएमएस आई0डी0:—2019/311

1. मुन्शी पुत्र भगवत
2. माया पत्नि बाबू
3. शेरसिंह पुत्र बाबू
4. केशव पुत्र बाबू
5. सुमेर सिंह पुत्र रामस्वरूपपुत्र आराम
6. रतनसिंह पुत्र रामस्वरुप पुत्र आराम

जाति जाट निवासी चिनायटा

तहसील हिण्डौन जिला करौली

————————सायलान

बनाम

1. अशोक पुत्र महोदवा
2. जगदीश पुत्र महोदवा
3. बनवारी पुत्र महोदवा
4. मछला पुत्री महोदवा
5. लक्ष्मी पुत्री महादेवा
6. शकुन्तला पुत्री महादेवा
7. सुमित्रा पुत्री महोदवा
8. सुख देई पत्नि महादेवा
9. सुशीला पत्नि रामाधार
10. गोपाल पुत्र रामाधार
11. शिवसिंह पुत्र रामाधार
12. शकुन्तला पत्री कलावती पुत्री भूरसिंह
13. सुमित्रा पुत्री कलावती पुत्री भूरसिंह
14. प्रहलाद सिंह पुत्र कलावती पुत्री भूरसिंह
15. विजेन्द्र पुत्र महाराज सिंह
16. लक्ष्मण पुत्र महाराज सिंह
17. खिल्लो पुत्र महाराज सिंह
18. रामा पुत्र महाराज सिंह

जाति जाट निवासी चिनायटा

तहसील हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

19. नवाब सिंह पुत्र श्री रामसिंह
20. केदार पुत्र भूरी सिंह
21. प्रकाश पुत्र भूरीसिंह
22. दख्खी पत्नि रामखिलाडी

जाति जाट निवासी चिनायटा

तहसील हिण्डौन जिला करौली

23. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
24. सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला करौली राजस्थान ———गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री राघवेन्द्र जैमिनी एडवोकेट गैरसायल सं.15 ता 19

निर्णय

दिनांक :— 23.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है उक्त उनवान का दावा बावत इस्तकरारहक, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमे सायलान को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी ख0नं0 1293 रकबा 45 ऐयर, ख0नं0 863 रकबा 22 ऐयर, ख0नं0 865 रकबा 15 ऐयर, ख0नं0 864 रकबा 8 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकबा 90 ऐयर ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया कि मद नं0 2 में प्रार्थाना पत्र के साबिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार है:—

नवीन खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	साबिक खसरा नंबर सं0 2000—2040	रकबा	साबिक खसरा नम्बर सं0 1984—1999	रकबा
864	0.08	440	11 बिस्वा	185	
863	0.22	442	2 बीघा 19 बिस्वा	185	32 बीघा
865	0.15	441	11 बिस्वा मिन	185	12 बिस्वा
1293	0.45	442		185	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है सायल सं0 1 ता 6 एक ही परिवार के एक कोमन ऐनचेस्टर की संताने हैं। जिनका कालान्तर में संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है। जिनके परिवार का सजरा में अंकित किया है कि बंशी के दो लडके आराम, रामप्रसाद थे, आराम के दो लडके रामस्वरूप, किरोडी तथा रामस्वरूप के दो पुत्र सुमेरसिंह, रतनसिंह तथा किरोडी लाऔलाद फौत, रामप्रसाद के एक लडका भगवत, भगवत के दो लडके बाबू, मुंशी, तथा बाबू के दो लडके शेरसिंह, केशव तथा एक पुत्री माया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है 2 व 3 प्रार्थाना पत्र के साबिक ख0नं० 185 रकबा 32 बीघा 12 विस्वा स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन रहा है। उक्त खं०नं० सायलान के बावा मृतक बंशी एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र मृतक आराम की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जोकि जमाबंदी नं० 1984 के खातेदारी के कॉलम से भली प्रकार साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है साबिक ख0नं0 185 दौरान सेटलमेनट सं0 1990 में सेटिलमेन्ट विभाग ने खं0 नं0 440 रकबा 11 बिस्वा, खं0न0 441 रकबा 11 विस्वा, खं0न0 442 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन कायम किये। जो कि नक्शा सीट एवं मौके के अनुसार एकदम सही है, लेकिन खातेदारी में कॉलम से सायलान का नाम हजफ करते हुये उक्त खं0न0 को गैरसायलान की खातेदारी में तब्दील कर दिया गया। जिसका सेटिलमेन्ट कर्मचारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सन 2035 से 2040 में होने वाले सेटिलमेन्ट में साबिक ख0नं0 440 के नवीन ख0नं0 864 रकबा 8 ऐयर, ख0नं0 865 रकबा 15 ऐयर, ख0नं0 442 के नवीन ख0नं0 863 रकबा 22 ऐयर खसरा नं. 1293 रकबा 45 ऐयर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन कायम किये गये। एवं उक्त नवीन ख.नं. के खातेदारी के कॉलम में भी सायलान का नाम दर्ज नही फरमाया गया, बल्कि उक्त ख०नं० की नवीन रिकोर्ड के खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज फरमा दी गई।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है विवादग्रस्त ख०नं० पर सायलान की बजमाने बुजुर्गान से काबिज एवं दखील है। एवं वर्तमान में भी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

ख०नं० पर सायलान का ही कब्जाकाश्त है। उक्त ख०नं० की गिरदावरी सं0 2008 से लेकर नं. 2019 तक सायलान के बावा मृतक किरोडी के नाम एवं सं0 2031–32–32 में गिरदावरी बाबू, मुन्शी पिता भगवत के नाम वर्ष रिकोर्ड है। जिससे यह तथ्य भली प्रकार सावित है कि विवावग्रस्त ख०नं० पर सायलान ही बतौर खातेदार काश्तकार एवं काबिल एवं दखील रहे है। जिससे गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नही रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है सायलान का कालांतर में संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है। इसलिए विवादग्रस्त आराजीयात को उन्होने शामिल में रखकर काश्त किया है। लेकिन अब परिवारो के बढ़ जाने के कारण एवं आपसी प्रेम एवम् सौहार्द को बनाये रखने के आशाय ते सायलान ने आराजीयात का अपनी सहूलियत के हिसाब से मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिसमें विवादग्रस्त आराजीयात सायलान सं. 1 ता 4 के हिस्से मे आई हुई है एवं वे ही आराजीयात पर मोके पर काबिज दखील है। जिससे सायन सं० 5 व 6 को कोई गुरेज नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है बाका दिनांक 5–7–19 को सायल सं० 1 ता 4 अपने खेतों पर केसीसी बनवाने के आशय से हल्का पटवारी से मिले। तब हल्का पटवारी ने सायलान के नाम उक्त ख. नं० का रिकोर्ड ही नही होना बताया, जिस पर सायलान ने आराजीयात का नवीन उसके बाद साबिक रिकोर्ड एकत्रित किया। तब जाकर सेटिलमेन्ट की भूल का पता सायलान को चल पाया। सायलान सेटिलमेन्ट की मूल वावत गैरसायलान से दिनांक 15. 7.19 को सम्पर्क साधा एवं उक्त गलती को दुरुस्त करने की प्रार्थना की, तो गैरसायलाम ने उक्त दुरुस्ती बाबत साफ इन्कार कर दिया। एवं स्पष्ट कहा कि यदि जमीनो में हमारा नाम है। लो हम उन पर डन्डे के बल पर कब्जा करेंगे। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र टी.आई. पेशा करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मन्सूबे में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्म ऑफ़ मनी होना संभव नही हो सकेगी,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हे कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया कि प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेद्याज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेद्याज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया पावे कि गैरसायलान आराजी ख.नं० 863, 864, 865, 1293 कुल किता 4 रकबा 90 ऐयर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त सायलान में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायलान को आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। आराजीयात से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। आराजीयात को रहन बय नहीं करे। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.09.2024 को गैरसायलान सं0 15 ता 19 की ओर से श्री राघवेन्द्र जैमिनी एडवोकेट ने उपस्थिति दी तथा एकतरफा मसंखूी का कोई प्रार्थना पत्र एवं बकालतनामा पेश नहीं किया। तथा एकतरफा मसंखूी का कोई प्रार्थना पत्र एवं बकालतनामा पेश नहीं किया। दिनांक 06.05.2025 को गैरसायल सं0 1ता 14 व 20 ता 24 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायलान सं0 15 ता 19 के अधिवक्तागण को जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा दिनांक 06.05.2025 को सीधे ही प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 किता 3, मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति पेश किये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस अवगत कराया है कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है और रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1293 रकबा 0.45 है0, 863 रकबा 0.22 है0, 865 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अशोक पुत्र महोदवा हिस्सा 1/252, खिल्लो पुत्र महाराज सिंह हिस्सा 9/160, जगदीश पुत्र महोदवा हिस्सा 1/252, झन्जी पत्नि महाराज सिंह हिस्सा 1/40, नवाब सिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 3/8, प्रहलाद सिंह पुत्र कलावती हिस्सा 1/108, बनवारी पुत्र महोदवा हिस्सा 1/252, मछला पुत्री महोदवा हिस्सा 1/252, मलखान सिंह पुत्र मोहर सिंह हिस्सा 1/8, महादेवा पुत्र भूरसिंह हिस्सा 1/24, रामा पुत्र महाराजसिंह हिस्सा 9/160, रामाधार पुत्र भूरसिंह हिस्सा हिस्सा 5/72, लक्ष्मण पुत्र महाराज सिंह हिस्सा, 9/160, लक्ष्मी पुत्री महादेवा हिस्सा 1/252, बल्लू पुत्र रूग्घी हिस्सा 1/12, विजेन्द्र पुत्र महाराज सिंह हिस्सा 9/160, विमला देवी पुत्री कलादेवी हिस्सा 1/108, शकुन्तला पुत्री महादेवा हिस्सा 1/252, सुखदेई पत्नि महादेवा हिस्सा 1/252, सुमित्रा देवी पुत्री कलावती हिस्सा 1/108 जाति जाट सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

नकल जमाबन्दी 2071–2074 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 711 रकबा 0.13 है0, 864 रकबा 0.08 है0, 867 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी केदार पुत्र भूरी सिंह हिस्सा 1/3, प्रकाश पुत्र भूरीसिंह हिस्सा 1/6, दख्खो पत्नि रामखिलाडी हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

नकल जमाबन्दी 2071–2074 अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 866 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम चिनायटा की खातेदारी केदार पुत्र भूरी हिस्सा 1/6, नवाब सिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/2, प्रकाश पुत्र भूरीसिंह हिस्सा 1/6, सोमोती पत्नि भूरीसिंह हि0 1/6 जाति जाट सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1293 रकबा 0.45 है0, 863 रकबा 0.22 है0, 865 रकबा 0.15 है0, 864 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ की खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित खसरा नम्बर 1293 रकबा 0.45 है0, 863 रकबा 0.22 है0, 865 रकबा 0.15 है0, 864 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें रहन वय नहीं करें। रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं कोई निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नं.से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)